स्पीड / पंजीकृत डाक
अति शीघ्र / आरटीआई अपील मामला

दिल्ली सरकार
राव तुला राम स्मारक अस्पताल
जाफरपुर नई दिल्ली–110073

मि.सं.:रा.तु.रा.स्मा.अस्प.– I / 6 / आर.टी.आई. अपील स. 02 / 05 / 2014–15 / 9946–48 दिनांक : 23–6–2014

आदेश

श्री अब्दुल लतीफ सैफी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के भाग 19 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जोकि जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब दिनांक 21 / 05 / 2014 के संदर्भ में है। इसकी सुनवाई पहले दिनांक 19 / 06 / 2014 को निर्धारित की गई थी परन्तु कार्य की अधिकता के कारण इसे पुनः सुनवाई के लिए दिनांक 23 / 06 / 2014 को सुबह 11:00 बजे निर्धारित किया गया । निर्धारित समय पर मामला जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी की उपस्थिति में सुना गया परन्तु आवेदक सुनवाई के दौरान अनुपस्थित था ।

जन सूचना अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा दिनांक 21 / 05 / 2014 को दिए गए जवाब में आवेदक को आपातकालीन विभाग के लिए अनिवार्य 10 सुविधाओं के बारे में पहले ही बताया जा चुका है लेकिन जिन अस्पतालों में ये सुविधाएं नही है ऐसे अस्पतालों पर कार्यवाही करना इस अस्पताल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ।

जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब व आवेदक के द्वारा मांगी गई जानकारी का संज्ञान लेते हुए यह निर्णय किया जाता है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना ठीक है । इसके अलावा मांगी गई जानकारी एक नितिगत मामला है और किसी भी अस्पताल पर कार्यवाही करना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र मे आता है । अतः आवेदक को सूचित किया जाता है कि इससे संबंधित जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त की जा सकती है।

यदि आप इस जवाब से संतुष्ट नही हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आप दूसरी अपील इस पत्र के जारी होने के 90 दिनो के अंदर सूचना आयुक्त, कैन्द्रीय सूचना आयोग, कमरा न.326, दूसरा तल, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 के समक्ष अपील कर सकते हैं।

(डा0 संजय कुमार जैन)
प्रथम अपीलीय अधिकारी /
चिकित्सा अधीक्षक, राव तुला राम स्मारक अस्पताल

मि.सं.:रा.तु.रा.स्मा.अस्प.– I / 6 / आर.टी.आई. अपील स. 02 / 05 / 2014 / 159946–48 दिनांक : 23–6–2014

प्रतिलिपि :

1. श्री अब्दुल लतीफ सैफी, A-II-303, मदनगीर, डॉ. अम्बेडकर नगर सै.–3, नई दिल्ली–110062
2. जन सूचना अधिकारी, राव तुला राम स्मारक अस्पताल।
3. निजी सहायक, प्रथम अपीलीय अधिकारी /चिकित्सा अधिक्षक, राव तुला राम स्मारक अस्पताल।

(डा0 संजय कुमार जैन)
प्रथम अपीलीय अधिकारी /
चिकित्सा अधीक्षक, राव तुला राम स्मारक अस्पताल